यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, उपजिलाधिकारी, चकराता, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, उपजिलाधिकारी, चकराता, देहरादून के माह 03/2016 से 07/2018 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री खजान सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री रविन्द्र कुमार जयन्त वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 27.08.2018 से 31.08.2018 तक श्री प्रेमचन्द, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-प्रथम

1- परिचयात्मक- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री बृज भूषण त्रिपाठी स.ले.प.अ. एवं श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 16.03.2016 से 19.03.2016 तक श्री एम0एस0 गर्ब्याल वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2011 से 02/2016 तक लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 03/2016 से 07/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- चकराता

(ii)(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत् हैः-

(रू लाख में)

	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य(+)	बचत(-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	542.75	502.14	49.27	48.42	-	41.44
2016-17	-	-	592.12	487.80	74.35	71.64	-	107.12
2017-18	-	-	618.80	594.28	64.83	62.83	-	24.81
2018-19 (06/18)	-	-	543.58	258.32	26.37	7.96	-	-

(ब) Autonomous Bodies विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थितिः निरंक।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण हैः- शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुये इकाई **'सी'** श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

उपजिलाधिकारी
तहसीलदार
नायब तहसीलदार
राजिस्ट्रार कानूनगो
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
राजस्व निरीक्षक
राजस्व उप निरीक्षक
संग्रह अमीन

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में का कार्यालय, उपजिलाधिकारी, चकराता, देहरादून की लेखापरीक्षा में लेन-देन-कम-अनुपाल को आच्दादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, उपजिलाधिकारी, चकराता, देहरादून की लेखापरीखा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016, 03/2017 एवं 01/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

.....शून्य.....

<u>भाग-दो 'ब'</u>

<u>प्रस्तरः01-</u> मुख्य व विविध देयों/ आर0सी0 की धनराशि रू 25.20 लाख वसूली हेतु लम्बित रहना।

कार्यालय, उपजिलाधिकारी, चकराता, देहरादून के मुख्य व विविध देयों आर0सी0 से सम्बंधित पंजिकाओं एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के अवलोकन में पाया गया कि तहसील चकराता में वित्तीय वर्ष 2015-16 से पूर्व तथा वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 तक, कुल रू 9.67 लाख, तहसील कालसी में रू 9.17 लाख तथा तहसील त्यूनी में वित्तीय वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 तक मुख्य व विविध देयों में रू 6.36 लाख अर्थात उक्त तीनों तहसीलो की कुल रू 25.20 लाख की धनराशि तहसील स्तर पर वसूली हेतु लम्बित थी। जबकि तीन वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। जिनका विवरण निम्नवत है-

(धनराशि रू लाख में)

वित्तीय वर्ष	कुल मुख्य व विविध देयों/ आर0सी0 की वसूली हेतु लम्बित धनराशि				
	तहसील चकराता (विविध देय)	तहसील कालसी (विविध देय)	तहसील त्यूनी		कुल योग
			मुख्य देय	विविध देय	
विगत वर्षों की वसूली हेतु लम्बित धनराशि	4.50	1.57	00	00	6.07
2015-16	1.28	1.85	0.20	2.42	5.75
2016-17	1.52	2.04	0.15	1.62	5.33
2017-18	2.37	3.71	0.62	1.35	8.05
योग	**9.67**	**9.17**	**0.97**	**5.39**	**25.20**

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि वसूली का कार्य प्रगति/गतिमान है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो 'ब'

प्रस्तरः02- अर्जित ब्याज व अनविज्ञ मदों की धनराशि रू 32.09 लाख विगत कई वर्षों से बैंक खातों में अवरूद्ध रखा जाना।

कार्यालय, उपजिलाधिकारी, चकराता के अन्तर्गत तहसील चकराता, कालसी व त्यूनी द्वारा उपलब्ध करायें गये बैंक खातों से सम्बंधित सूचनाओं तथा बैंक स्टेटमेन्ट के अवलोकन में पाया गया कि उक्त तहसीलों द्वारा विभिन्न केन्द्र व राज्य पोषित योजनाओं तथा अन्य मदों में प्राप्त निधियों के संचालन हेतु, बैंक खातों का संचालन किया जा रहा था। संदर्भित खाते तहसीलदार के पदनाम से थे। उक्त तीनों तहसीलों के बैंक खातों में 30 अगस्त, 2018 को कुल रू 65.38 लाख (सलंग्नक **परिशिष्ट-अ)** की धनराशि जमा थी। खातों में कुल जमा धनराशि में से रू 33.29 लाख विज्ञ मदों की धनराशि थी जिसका भुगतान लेखापरीक्षा तिथि तक लम्बित था तथा शेष धनराशि रू 32.09 (**सलंग्नक परिशिष्ट-अ**) लाख विगत कई वर्षों से अर्जित ब्याज व अनविज्ञ मदो की अवरूद्ध पड़ी थी। जिसके सम्बंध में सम्बंधित तहसील द्वारा उच्चाधिकारी से पत्राचार करके निस्तारण किया जाना चाहिए था। जो लेखापरीक्षा की तिथि तक नहीं किया गया था।

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया है कि प्रश्नगत खातों का तहसील स्तर पर समस्त अभिलेखों का अवलोकन कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायेगा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

सलंग्नकः परिशिष्ट-अ

परिशिष्ट-अ

(धनराशि रू लाख में)

तहसील का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	अगस्त,2018 का अंतिम अवशेष	लम्बित भुगतानों की धनराशि	अर्जित ब्याज व अनविज्ञ मदों की धनराशि
चकराता	पंजाब नैशनल बैंक,चकराता	10820013000040047	18.77	15.78	16.61
	भारतीय स्टेट बैंक, चकराता	11576412565	13.62		
त्यूनी	भारतीय स्टेट बैंक, त्यूनी	30572151091	10.61	0.00	10.61
कालसी	भारतीय स्टेट बैंक, कालसी	34604659647	2.27	17.51	4.87
	भारतीय स्टेट बैंक, कालसी	11546907175	20.11		
	योग		**65.38**	**33.29**	**32.09**

भाग दो ब

<u>प्रस्तरः3-</u> ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत जन सुविधा केन्द्रों द्वारा निर्धारित शुल्क से कम प्राप्त किये जाने के कारण रू 1.43 लाख के राजस्व की हानि।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 140/xxxiv/2015/16/2008 पार्ट-2 सूचना प्रौद्धौगिकी अनुभाग देहरादून दिनांक 21 मार्च 2015 के प्रस्तर 2 के अनुसार ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर निर्गत कम्पयूट्रीकृत प्रमाण पत्रों एवं अन्य सेवाओं के लिए शुल्क रू 30 का निर्धारण किया गया है!

कार्यालय के ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया है कि कार्यालय उप जिला अधिकारी चकराता के अन्तर्गत 1 अप्रैल 2015 से दिनांक 01 अगस्त 2018 तक ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत तहसील चकराता में 52681, कालसी में 58782 एवं त्यूनी में 37288 लाभार्थियों के प्रमाण पत्रो हेतु आवेदन प्राप्त हुए। जिनमें तहसील चकराता से 51657, कालसी से 53393 एवं त्यूनी में 36306 आवेदन पत्र प्राप्त किये गये। उनसे प्रति प्रमाण पत्र रू 30 प्रति लाभार्थी की दर से शुल्क प्राप्त किया गया है। लेकिन तहसील चकराता, कालसी एवं त्यूनी में जन सुविधा केन्द्रों द्वारा क्रमशः 1024, 5389 एवं 982 कुल 7395 प्रमाण पत्र बनाये जाने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए। उनसे केवल 10.68 प्रति प्रमाण पत्र की दर से रू 78979 प्राप्त किये गये। जबकि जन सुविधा केन्द्रों द्वारा 30 प्रति प्रमाण पत्र की दर से रू 142871 शुल्क लिया जाना चाहिए, लेकिन जन सुविधा केन्द्रो द्वारा केवल 19.32 प्रति प्रमाण पत्र की दर से रू 142871 कम शुल्क शासकीय खाते में जमा किया गया है। जिसके कारण विभाग को रू 142871 के राजस्व की हानि हुई है।

इस सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा है कि सम्बन्धित प्रकरण उच्चाधिकारियों से सम्बन्धित है। उत्तर मान्य नही है क्योंकि इकाई द्वारा शासन द्वारा निर्धारित शुल्क कॉमन सर्विस सेन्टरों द्वारा लिया जा रहा है या नही इसकी विभाग को कोई जानकारी नही है।

अतः ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत जन सुविधा केन्द्रों द्वारा निर्धारित शुल्क से कम प्राप्त किये जाने के कारण रू 1.43 लाख के राजस्व की हानि का प्रकरण इकाई के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो ब

<u>प्रस्तरः4-</u> रू 9.86 लाख की धनराशि का जेनरेटर का अनियमित क्रय एवं क्रय की तिथि से निष्क्रिय रहना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2018, संशोधित नियमावली 2015 एवं 2017 के प्रस्तर 12. (1) अनुसार तीन लाख से अधिक की सामग्री क्रय हेतु सीमित निविदा प्रक्रिया अपनाकर प्रतिस्पर्धात्मक दरो का लाभ प्राप्त किया जाना चाहिए।

कार्यालय उप जिला अधिकारी, चकराता के क्रय पत्रावली की जांच में पाया गया है कि निम्न जेनरेटरों का क्रय बिना निविदा प्रक्रिया अपनाये ही मात्र कोटेशन के आधार पर क्रय कर लिया गया था। जिसका विवरण इस प्रकार है।

तहसीलदार कालसी को चैक सं0 987610 दिनांक 01.08.2017 को 329700 मैसर्स जय दुर्गा इन्जीनीरिग देहरादून, तहसीलदार चकराता को चैक सं0 487608 दिनांक 01.08.2017 को रू 323850 मैसर्स जय दुर्गा इन्जीनियरिग देहरादून एवं तहसीलदार त्यूनी को जेनरेटर क्रय हेतु चैक सं0 487609 दिनांक 01.08.2017 को 332100 मैसर्स एक्सेल पावर साल्यूशन राजस्थान से मात्र कोटेशन से क्रय किया गया था। आगे जांच में यह भी पाया गया है कि जब से जेनरेटर क्रय किया गया तभी से उक्त जेनरेटर चालू हालत में नही था। अतः उक्त जेनरेटर अक्रियाशील है, और न ही उक्त जेनरेटर की लाग बुक जांच हेतु प्रस्तुत की गई।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा है कि प्रश्नगत प्रकरण जिला कार्यालय से सम्बन्धित है पत्राचार कर सूचना से अवगत कराया जायेगा। उत्तर मान्य नही है क्योंकि विभाग की उदासीनता के कारण रू 9.86 लाख के जेनरेटर का अनियमित क्रय एवं क्रय की तिथि से सम्प्रेक्षा तिथि 07/18 तक निष्क्रिय पडा हुआ था।

अतः रू 9.86 लाख की धनराशि का जेनरेटर का अनियमित क्रय एवं क्रय की तिथि से निष्क्रिय पड़े रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो ब

<u>प्रस्तरः5-</u> भारत सरकार के दिशा निर्देशो का उल्लंघन कर बाहर से आये गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को भूमि क्रय कर दाखिल खारिज किया जाना एवं प्रमाण पत्र जारी किया जाना।

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के क्रम में चकराता क्षेत्र को जौनसारी बाबर अनुसूचित जन जाति क्षेत्र घोषित किया गया है। यहां निवास करने वाले जन जातियों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र दिये जाने का प्रावधान है।

कार्यालय तहसील चकराता के द्वारा जारी किये गये अनुसूचित जन जाति प्रमाण पत्र सम्बन्धी अभिलेखों की जांच में पाया गया है कि भगत बहादुर पुत्र श्री तुलसीराम द्वारा उत्तराखण्ड के अन्य पिछडे वर्ग गोरखा समुदाय के लिए जाति प्रमाण पत्र बनाने हेतु आवेदन संख्या यूके 10 सीएसीयू01104/180021505 दिनांक 23. अगस्त 2018 में एवं श्री प्रदीप अधिकारी पुत्र श्री प्रताप सिंह ग्राम जस्टा बुरास्टी चकराता देहरादून को उत्तराखण्ड के अन्य पिछडे समुदाय के लिए जाति प्रमाण पत्र बनाने हेतु आवेदन संख्या यूके 10 सीएसीयू01104/180021247 दिनांक 25. अगस्त 2018 उक्त प्रमाण पत्र जारी किया गया है। जबकि इस क्षेत्र में केवल जौनसारी बाबर यानि अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की जमीन क्रय एवं विक्रय करने का अधिकार है। उसके बावजूद यहां पिछडी जाति के गोरखा समुदाय के लोगो को जमीन रजिस्ट्री की गई और उसका दाखिल खारिज भी कर दिया गया है जिसका खसरा संख्या 447 में .5830 हेक्ट भूमि श्री तुल्सीराम के नाम दर्ज है। जो कि भारत सरकार/राज्य सरकार की अधिसूचना का स्पष्ट उललंघन किया गया था।

इस सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा है कि सम्बन्धित प्रकरण में जांच करने के पश्चात अवगत करा दिया जायेगा। उत्तर मान्य नही है क्योंकि इकाई की उदासीनता के कारण अनुसूचित जनजाति जौनसार बाबर क्षेत्र चकराता में किसी भी अन्य जातियों के व्यक्तियों जो बाहर से आये है उन्हें भूमि क्रय करने का अधिकार नही है। भारत सरकार के दिशा निर्देशो का उल्लंघन कर बाहर से आये गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जमीन क्रय कर दाखिल खारिज किया जाना एवं प्रमाण पत्र जारी किया जाना। पाया गया था।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो 'ब'

प्रस्तरः6- राजकीय सेवकों को आवंटित राजकीय वाहन की निर्धारित दर की कुल धनराशि रू 1,14,400/ की कम कटौती करना।

वित्त संसाधन (विविध) अनुभाग के शासनादेश संख्याः 710/दस-स0वि0नित-2-97 दिनांकः 19 मई,1999 के अनुसार यदि किसी अधिकारी को राजकीय वाहन आवंटित है, वह उसका निजी उपयोग करें या न करें, उसके वेतन से प्रति माह (पेट्रोल कार के लिए रू 500 व जीप के लिए रू 400) की कटौती की जानी चाहिए तथा शासनादेश संख्याः 84/xxvii(7)50(6)/2017, दिनांकः 07 जून, 2017 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोंपरान्त यह निर्णय लिया गया गया है कि उक्त के अन्तर्गत राजकोष में जमा किये जाने वाली उक्त धनराशि में वृद्धि करते हुए दिनांक 01 मई, 2017 से प्रत्येक वाहन हेतु रू 2000 प्रतिमाह की राशि निश्चित कर दी गयी थी।

कार्यालय, उपजिलाधिकारी, चकराता, देहरादून के बिल पंजिका एवं जी0वी0आर0 से सम्बंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि अद्योलिखित अधिकारियों से निम्न अवधि में आवंटित शासकीय वाहन की उक्त शासनादेश में उल्लिखित दर से मासिक कटौती न करने के परिणामस्वरूप निम्न अवधि में संदर्भित अधिकारियों के वेतन से कटौती न करने की धनराशि एव कम कटौती की कुल रू 114400 वसूली/कटौती हेतु लेखापरीक्षा तिथि तक लम्बित थी। विवरण निम्नवत् है-

क्र0स0	अधिकारी का नाम व पदनाम	अवधि		कटौती की कुल धनराशि
		कब से	कब तक	
1	श्री दौलत दास, तहसीलदार	04/2016	02/2017	11x400= 4400
2	श्री कुंवर सिंह नेगी, ना0 तहसीलदार	03/2017	04/2017	2x400= 800
		05/2017	08/2018	16x2000= 32000
3	श्री स्वराज सिंह,ना तहसीलदार	08/2017	08/2018	13x2000= 26000
4	श्री शक्ति प्रसाद उनियाल, तहसीलदार	05/2017	08/2018	16x1600= 25600
5	श्री प्रत्युश सिंह, एस0डी0एम0	05/2017	06/2017	2x1600= 3200
6	श्री वृजेश कु0तिवारी, एस0डी0एम0	07/2017	08/2018	14x1600= 22400
			योग	114400

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने प्रत्युत्तर में बताया कि कटौती/वसूली कर दी जायेगी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तरः1-</u> मा0 मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के अन्तर्गत व्यय धनराशि रू 118.20 लाख के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का प्रेषण न किया जाना।

कार्यालय, उपजिलाधिकारी, चकराता, देहरादून के मा0 मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से सम्बंधित पंजिकाओं के अवलोकन में पाया गया कि तहसील चकराता को वित्तीय वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 तक जिलाधिकारी से कुल रू 57.90 लाख उक्त कोष के अन्तर्गत प्राप्त थी। कुल प्राप्त धनराशि के सापेक्ष तहसील द्वारा रू 57.20 लाख का व्यय किया गया था। शेष धनराशि रू 0.70 लाख जिलाधिकारी को वापस की गयी थी। इसी क्रम में तहसील त्यूनी में विवेकाधीन कोष के अन्तर्गत उक्त वित्तीय वर्षों में रू 64.51 लाख की धनराशि प्राप्त थी। कुल प्राप्त धनराशि के सापेक्ष तहसील द्वारा रू 61.00 लाख व्यय किये गये थे। शेष रू 3.50 लाख जिलाधिकारी को वापस की गयी थी।

सदंर्भित वित्तीय वर्षों में दोनो तहसीलों द्वारा व्यय की गयी कुल धनराशि रू 118.20 (रू57.20+रू61.00) लाख से सम्बंधित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का व्ययोंपरान्त जिलाधिकारी को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने चाहिए थे। जो लेखापरीक्षा तिथि तक दोनों तहसीलों द्वारा प्रेषित नहीं किये गये थे। आगे पंजिकाओं के अवलोकन में यह भी पाया गया कि पंजिका का वर्ष 2015-16 से वर्तमान तक न तो मासिक लेखाबन्दी की जा रही थी, न ही सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित करवायी जा रही थी। जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि प्राप्त हुई थी तथा कितनी व्यय हो चुकी थी।

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने प्रत्युतर में बताया भविष्य में उपभोग प्रमाण-पत्र उपलब्ध/प्रेषित कर दिये जायेगे।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तरः2-</u> राष्ट्रीय कृत कार्यक्रम 'कृषि गणना' से सम्बंधित अभिलेखों/रूपपत्रों का सक्षम अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण का संदिग्धपूर्ण प्रतीत होना।

राष्ट्रीय कृषि कार्यक्रम 'कृषि गणना योजना 2015-16 हेतु राजस्व परिषद उत्तराखण्ड़ देहरादून द्वारा निर्गत निर्देश पुस्तिका के पृष्ठ संख्या-3 एवं 4 में उल्लिखित है कि जिला स्तर पर रोस्टर के आधार पर सभी ग्रामों का निरीक्षण निर्धारित प्रतिशत के अनुसार किया जाये। निरीक्षण के उपरान्त उसकी एक-एक प्रति सम्बंधितों को तथा एक प्रति प्रदेश मुख्यालय को प्रेषित कर दी जाय। निरीक्षण हेतु ग्रामों का प्रतिशत इस प्रकार से हैः- **राजस्व निरीक्षकः** अपने अधीनस्थ राजस्व उप निरीक्षकों (पटवारी/लेखपाल) के 40-प्रतिशत ग्रामों के रूपपत्र एल-1 एवं 80-प्रतिशत ग्रामों के रूपपत्र-एच के जांच करेंगें। **नायब तहसीलदार :** तहसील के अन्तर्गत पड़ने वाले समस्त ग्रामों में से 10-प्रतिशत एल-1 एवं 10- प्रतिशत ग्रामों के रूपपत्र-एच की जांच करेंगें। **तहसीलदार** : तहसील के अन्तर्गत पड़ने वाले समस्त ग्रामों में से 05-प्रतिशत ग्रामों के एल-1 एवं 05-प्रतिशत ग्रामों के रूपपत्र-एच की जांच करेंगें। **उपजिलाधिकारी** : तहसील के 02-प्रतिशत ग्रामों के एल-1, एल-2 एवं 02-प्रतिशत ग्रामों के रूपपत्र-एच की जांच करेंगें।

कार्यालय, उपजिलाधिकारी, चकराता देहरादून के राष्ट्रीय कृष कार्यक्रम 'कृषि गणना' से सम्बंधित तहसील द्वारा लेखपालों से तैयार करवायें गये अभिलेख जैसाः कि चिट्ठा, रूपपत्र एल-01, एल-02 एवं रूपपत्र-एच उच्च अधिकारी को प्रेषित किये गये थे। परन्तु तहसील स्तर पर उच्चाधिकारियों द्वारा सदंर्भित रूपपत्रों का किया गया सत्यापन/निरीक्षण से सम्बंधित कोई भी साक्ष्य/ अभिलेखों का तहसील स्तर में उपलब्ध न होने के कारण लेखापरीक्षा में यह सत्यापन नहीं किया जा सका कि तहसील-चकराता के अन्तर्गत- 140 ग्रामों में से कितने रूपपत्र एल-01,02 एवं एच उच्चाधिकारियों के द्वारा सत्यापित करवाकर प्रेषित किये गये थे। तहसील स्तर पर संदर्भित योजना हेतु जिला स्तर से उपलब्ध कराये गये रूपपत्रों के रख-रखाव हेतु पंजिका भी नहीं बनायी गयी थी। जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि उक्त योजना हेतु प्रश्नगत तहसील को कितने रूपपत्र उपलब्ध करवायें गये थे तथा कितने रूपपत्र अवशेष थे। जबकि तहसील स्तर पर उक्त पंजिका का रख-रखाव किया जाना चाहिए था। सम्बंधित ग्रामों के उप-निरक्षकों द्वारा तैयार किये गये रूपपत्रों का तहसील स्तर पर उल्लिखित प्रतिशतानुसार उच्चाधिकारियों द्वारा सत्यापन/निरीक्षण किया जाना चाहिए था जिससे सम्बंधित अभिलेख तहसील स्तर पर न होने के कारण संदिग्धपूर्ण प्रतीत होता है।

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने प्रत्युत्तर में बताया कि कृषि गणना से सम्बंधित मूल अभिलेख सी0आर0सी0 को प्रेषित कर दिये गये है तथा भविष्य में अनुपालन किया जायेगा। इकाई का उत्तर संतोषजनक नहीं क्योंकि उक्त राष्ट्रीय कृष कार्यक्रम के उपयोगार्थ ऑकड़ों का तहसील स्तर एक प्रारम्भिक/मुख्य स्तर है यदि प्रारम्भिक स्तर से ही वांछित ऑकड़ों का सम्बंधित सक्षम उच्चाधिकारियों को निर्धारित निरीक्षण प्रतिशतानुसार निरीक्षण नहीं किया गया हो तो उच्च स्तर द्वारा प्रकाशित ऑकड़ों की विश्वासनीयता संदिग्ध प्रतीत होती है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-2 'ब' प्रस्तर संख्या	**STAN**
62/2015-16	शून्य	1,2,3,4,5	00

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
62/2015-16	भाग-दो ब <u>प्रस्तर-1</u> विविध राजस्व प्राप्ति की धनराशि रू 88976/ को राजकोष में जमा नहीं किया जाना।	बाद में प्रेषित की जायेगी।	इकाई द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी।	
	<u>प्रस्तर-2</u> रू 6.20 लाख के बिल वाउचर्स कार्यालय में उपलब्ध न होना।			
	<u>प्रस्तर-3</u> रू 76.70 लाख राजस्व की वसूली न किया जाना।			
	<u>प्रस्तर-04</u> वसूली प्रमाण पत्र की धनराशि रू 25.35 लाख एवं संग्रह प्रभार की धनराशि रू 2.55 लाख की वसूली न किया जाना।			
	<u>प्रस्तर-05</u> दैवीय आपदा की आवंटित धनराशि रू 42.87 लाख को आपदा प्रभावितों को वितरित न किया जाना।			

भाग-IV

इकाई के सर्वोतम कार्यः- शून्य

भाग-V

आभार

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु उपजिलाधिकारी, चकराता, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य

2- सतत् अनियमितायेः- शून्य

3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि	
			कब से	कब तक
1	श्री प्रेम लाल	उपजिलाधिकारी	17.11.2015	29.09.2016
2	श्री प्रत्युष सिंह	उपजिलाधिकारी	29.09.2016	28.06.2017
3	श्री वृजेश कुमार तिवारी	उपजिलाधिकारी	28.06.2017	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय, उपजिलाधिकारी, चकराता, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाय।

लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र